श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

उनवान–जैता बनाम भगवानसिंह वगैरा
राजस्व आवेदन संख्या 140/2024

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन– 140/2024 अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. जैता पुत्र काना जाति रबारी निवासी गंगासरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1. भगवानसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी गंगासरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 2. वीरा पत्नी हनुमानराम जाति जाट निवासी बांधनिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 3. अणसी पत्नी गेफराराम 4. उकाराम पुत्र गेफराराम 5. चंपा पत्नी माना पिता मानाराम 6. जोगाराम पुत्र मानाराम 7. जोगाराम पुत्र गेफराराम 8. ठाकराराम पुत्र मानाराम 9. देवा पुत्र डुंगरा 10. नरसीराम पुत्र गेफराराम 11. नागजी पुत्र पाबुराम 12. मांगा पुत्र पाबुराम 13. लिखमाराम पुत्र गेफराराम जातियान रबारी निवासीगण गंगासरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 14. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. बैंक शाखा धोरीमन्ना। 15. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. बैंक शाखा सेड़वा। 16. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।

वकील प्रार्थीगण :– श्री करनाराम कड़वासरा
विप्रार्थी संख्या 01 से 02 के वकील– श्री महिपालदान चारण
विप्रार्थी संख्या 03 से 14 के वकील– श्री घेवरराम देवासी

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:59:46 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक:– 29.09.2025

प्रार्थीगण जैता पुत्र काना जाति रबारी निवासी गंगासरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि ग्राम गंगासरा पटवार हल्का गंगासरा उपखण्ड सेड़वा के खेत खसरा संख्या 640 रकबा 10—1171 हैक्टेयर का आया हुआ है, जिसमें प्रार्थी की वर्षो पुरानी रहवासीय ढाणी आई हुई है। प्रार्थी को उक्त खेत व रहवासीय ढाणी में आने—जाने के लिए रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। प्रार्थी के खेत व रहवासीय ढाणी में आने जाने के लिए रास्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खातेदारी का खेत ग्राम गंगासरा के खसरा नम्बर 639 रकबा 3—2537 हैक्टेयर में से 20 फीट के चौड़े रास्ते की निकटतम रूठ से आवश्यकता है। उक्त रास्ता आने जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत में काश्त करने व रहवासीय ढाणी में आने—जाने का निकटतम रूठ का सुविधाजनक रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता गंगासरा से कारटिया जाने वाली डामर सड़क को जोड़ता है, जिससे मांगा गया रास्ता निकटतम व सुविधाजनक है। अभी अप्रार्थी उक्त भूमि अपने नाम की खातेदारी में दर्ज होने का बहाना बनाकर उक्त स्थान से चलने से मना कर दिया है। रास्ते हेतु आपसी सहमति से मामला नहीं बैठता है। जिससे रास्ते की प्राप्ति हेतु उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश था तथा दिनांक 13.11.2024 को भगवानसिंह पुत्र लालसिंह ने अप्रार्थी संख्या 01 मोहनसिंह व अप्रार्थी संख्या 02 वीरादेवी को बेचान करने से संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते का विवरण निम्नानुसार है—

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर में	रास्ते की चौड़ाई	मौजा	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
1.	639	03—2537	20 फीट	गंगासरा	बारानी सोयम

प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ते की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की खातेदारी भूति में से 20 फीट चौड़े रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। जिससे नक्शे में चिन्हित स्थान पर ही सुवधिाजनक व उपयुक्त रास्ता है, जिसे संलग्न नक्शे में नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में लाल कलर से दर्शाया गया है। उक्त नक्शे को प्रार्थना पत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाकर साथ पढा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:59:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

जावें। प्रार्थी के उक्त आवेदित स्थान के रास्ते के अभाव में प्रार्थी के बच्चों के शिक्षा हेतु स्कूल आने—जाने खेतों में व रहवासीय ढाणी में आने—जाने, काश्त के साधन, उपकरण लाने—ले जाने, राशन सामग्री लाने—ले जाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे रास्ते की सुविधा हेतु अत्यन्त आवश्यकता है, लेकिन अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि से चलने से मना कर दिया, जिससे प्रार्थी रास्ता की सुविधा के अधिकार पाने का कानूनी हकदार है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदित स्थान की भूमि राजस्व रेकर्ड में रास्ता सुविधा हेतु गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सेड़वा के नाम जारी फरमावें। उक्त रास्ते की भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का आवागमन में बाधा कारित न करें, न करावें तथा न आवेदित स्थान पर रास्ते की भूमि पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार का कच्चा—पक्का निर्माण न करें व न करावें। इस आशय का आदेश जारी करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस / सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 व 16 के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। तहसीलदार सेड़वा को प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते से संबंधित तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन हेतु न्यायालय के पत्रांकः रीडर / 2024 / 2064 दिनांक 06.06.2024 के द्वारा तहसीलदार सेड़वा को लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ. / 2024 / 1889 दिनांक 25.06.2024 के द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री महिपालदान चारण ने वकालतलनामा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के वकील ने रास्ते हेतु पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया, जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सेड़वा को प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते से संबंधित पुनः तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन हेतु न्यायालय के पत्रांकः रीडर / 2024 / 1323 दिनांक 23.08.2024 के द्वारा तहसीलदार सेड़वा को लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ. / 2024 / 3192 दिनांक 24.10.2024 के द्वारा पुनः तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:59:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी वकील ने पुनः मौका रिपोर्ट अनुसार संशोधित शीर्षक पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 03 से 14 की ओर से अधिवक्ता श्री घेवरराम देवासी ने वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन उनके कार्यालय पत्रांक भू.अ./2025/3192 दिनांक 24.10.2024 के संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 06.09.2024 अनुसार पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया। मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	लिखमाराम, उकाराम, जोगाराम, नरसीराम पिता गेफराराम, अणसी पत्नी गेफराराम, लिखमाराम, जोगाराम, ठाकराराम, पिता मानाराम, चम्पा पत्नी मानाराम, मांगाराम, नागजीराम पिता पाबुराम, देवाराम पुत्र डूंगराराम जाति रबारी सा. देह खातेदार	641	5–1152	20 फीट	0–0540 हैक्टेयर	गंगासरा	13930/–	बारानी सोयम

प्रार्थी द्वारा ग्राम गंगासरा के खसरा संख्या 639 में से रास्ता चाहा गया है। चाहे गए रास्ते के मौके पर खातेदार का एक पक्का कमरा (सीमेंटेड ईट) 12×10 का निर्मित है एवं एक कच्चा छपर पुराना निर्मित है। विप्रार्थी एवं उपस्थित मोतबरान (पड़ौसियान ने बताया कि प्रार्थी पूर्व में 8 से 10 साल तक खसरा नंबर 641 में से आवागमन करता था। खसरा नंबर 641 के खातेदारों व प्रार्थी के बीच समझौते से रास्ता चालू था, जिसे 8–10 माह पूर्व बंद किया गया। खसरा नंबर 639 व 641 दोनों रास्तों से प्रार्थी के खेत की दूरी समान है। संलग्न नक्शे में पूर्व में चालू रास्ता परिशिष्ट 'अ' व प्रस्तावित रास्ता परिशिष्ट 'ब' के रूप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:59:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

उनवान–जैता बनाम भगवानसिंह वगैरा
राजस्व आवेदन संख्या 140/2024

दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ता लघुतम है व अन्य विकल्प नहीं है। प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है।

उभयपक्षकारान् अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन मनन किया गया। उभयपक्षकारान् अधिवक्ताओं द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों आदि पर बहस की, जिस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से विचारण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर युक्तियुक्त विचारणोपरांत यह जाहिर होता है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है तथा इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है, उसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	लिखमाराम, उकाराम, जोगाराम, नरसीराम पिता गेफराराम, अणसी पत्नी गेफराराम, लिखमाराम, जोगाराम, ठाकरराम, पिता मानाराम, चम्पा पत्नी मानाराम, मांगाराम, नागजीराम पिता पाबुराम, देवाराम पुत्र डूंगराराम जाति रबारी सा. देह खातेदार	641	5–1152	20 फीट	0–0540 हैक्टेयर	गंगासरा	13930/–	बारानी सोयम

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:59:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकारान् को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1)–(b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2024/3192 दिनांक 24.10.2024 द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द दिनांक 06.09.2024 एवं संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस बरंग लाल से दर्शाया गया है जिसके अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी क्षतिपूर्ति राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दो गुना राजकोष में अदा करेगें। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट दिनांक (कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2024/3192 दिनांक 24.10.2024) 24.10.2024 मय फर्द दिनांक 06.09.2024 व नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। प्रार्थी को उक्त खसरे में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है कि प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त निर्धारित राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थीगण) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार सेड़वा को प्रदान करने के उपरान्त ही स्वयं द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:59:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जायेगा।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जाएगी।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्यधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक 29.09.2025 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

29.09.2025

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:59:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम कापी

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.)सेडवा जिला बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2024 / 3192 दिनांकः– 24-10-24

प्रेषितः– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सेड़वा

विशयः– राजस्व आवेदन सं 140 / 2024 अनवान जेता बनाम भगवानसिंह वगैरह अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(A) में मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत् ।

उपरोक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व 140 / 2024 अनवान जेता बनाम भगवानसिंह वगैरह अन्तर्गत आर टी एक्ट की धारा 251 ए तहत ग्राम गंगासरा के खसरा **640** में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. **639** में से रास्ता दिया जाने हेतु आप द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट चाही गई थी। जिसकी पालना में नायब तहसीलदार सेड़वा द्वारा दिनांक **06.09.2024** को मौके पर जाकर जांच कर मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते हेतु नक्शा तैयार किया गया। मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते का नक्शा इस पत्रांक के सलंगन भिजवाया जा रहा है।

सलंगनः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

24/X/24

तहसीलदार (भू.अ.)सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:59:46 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर पक्षकारान

अनवान जेता बनाम भगवानसिंह वगैरा
राजस्व आवेदन सं. 150/2024

पूर्व कार्य

मौका रिपोर्ट
(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible] के तहत)

मैं ....छैलसिंह........ (नाम) ~~भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त~~ नायब तहसीलदार सेड़वा ...., कार्यालय, तहसीलदार सेड़वा........... के आदेश कमांक 2751........ दिनांक 27/08/24 की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 06/09/24 समय 3:00...बजे, आराजी खसरा नम्बर-...639.... वाके ग्राम गंगासरा पटवार मंडल ..गंगासरा... पर श्री मांगीलाल पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटि[illegible] कमांक .... दिनांक .... द्वारा जारी किये गये थे जि[illegible] तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके प[illegible] [illegible]न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
01.	भगवानसिंह	लालसिंह	75	राजपूत	अप्रार्थी
02.	जेताराम	कानाराम	65	रबारी	प्रार्थी
03.	जोगाराम	मानाराम	46	रबारी	—

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका [illegible] [illegible]ना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्मानुसार तैयार की गई :-

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हे०	रास्ते की चौड़ाई	रास्ते में समाविष्ट भूमि	ग्राम	रास्ते में समाविष्ट भूमि कीमत	भूमि किस्म
01.	लिखमाराम, डूंगाराम, जोगाराम, नरसीराम पि. गोफराराम, अणची पत्नी गोफराराम, लिखमाराम जोगाराम, ठाकुराराम, पि. मानाराम, चम्पा पत्नी मानाराम, मांगाराम, नागजीराम पि. पाबुराम, देवाराम पुत्र डूंगाराम रबारी सा. डेडे जोगड़ार	641	5.1152 हैक्ट.	20 फीट	0.0540 हैक्टर	गंगासरा	13930	बा. सो.

प्रार्थी [illegible] खसरा नं. 639 में से रास्ता चाहा गया है। [illegible] रास्ते के मौके पर खातेदार का [illegible] 12x10 का निर्मित है एक [illegible] निर्मित है। विप्रार्थी एवं 3 [illegible] (पड़ोसीयान) ने बताया कि प्रार्थी पूर्व में 8 से [illegible] साल तक ख.नं. 641 में से आवागमन करता था। ख.नं. 641 के खातेदारों व प्रार्थी के बीच कुछ समय पूर्व 8-10 माह पूर्व ~~कुछ~~ समझौते से रास्ता चालू था जिसे दोनों खसरो बन्द किया गया। ख.नं. 639 व 641 दोनों नक्शे में से प्रार्थी के खेत की दूरी समान है। संलग्न नक्शे में पूर्व में चालू रास्ता परिशिष्ट 'अ' व प्रस्तावित रास्ता गया है। प्रस्तावित रास्ता परिशिष्ट 'ब' के रूप में दर्शाया। प्रस्तावित भूमि लघुतम है व अन्य विकल्प नहीं है। मौके पर खाली है

6/9/24
नायब तहसीलदार सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:39:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिकार्य

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरान को पढ़कर सुनायी गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी/अप्रार्थी
01.	भगवानसिंह	लालसिंह	राजपूत	भगवानसिंह	अप्रार्थी

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
01.	जेठाराम	कानाराम	65	रबारी	प्रार्थी

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.
1.	हेमाराम	डूंगराराम	80	रबारी	गंगासरा — अ.नि. हेमा
2.	पूनमाराम	आईदानराम	60	रबारी	गंगासरा — अ.नि. पूनमा
3.	ताराराम	वगताराम	50	मेघवाल	गंगासरा — ताराराम

मौका रिपोर्ट के क्रम सं. 01 पर अंकित खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाकर आगामी कार्यवाही करना उचित है।

इस प्रकार आज दिनांक 06/09/24 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:59:48 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर 6/09/24
पटवारी
पं. मं. प० गंगासरा

हस्ताक्षर 6/09/24
भू. अभिलेख निरीक्षक
वृत्त NTR सेड़वा

C.S.

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

641

प्रतिलिपि

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

NIC-BHUNAKSHA

दिनांक : 04/10/2024 04:25:45 PM

जिला : बाड़मेर | तहसील : सेड़वा | भू. अ. नि. क्षेत्र : फागलिया

पटवारी हल्का : गंगासरा | ग्राम : गंगासरा

परिशिष्ट - (3)

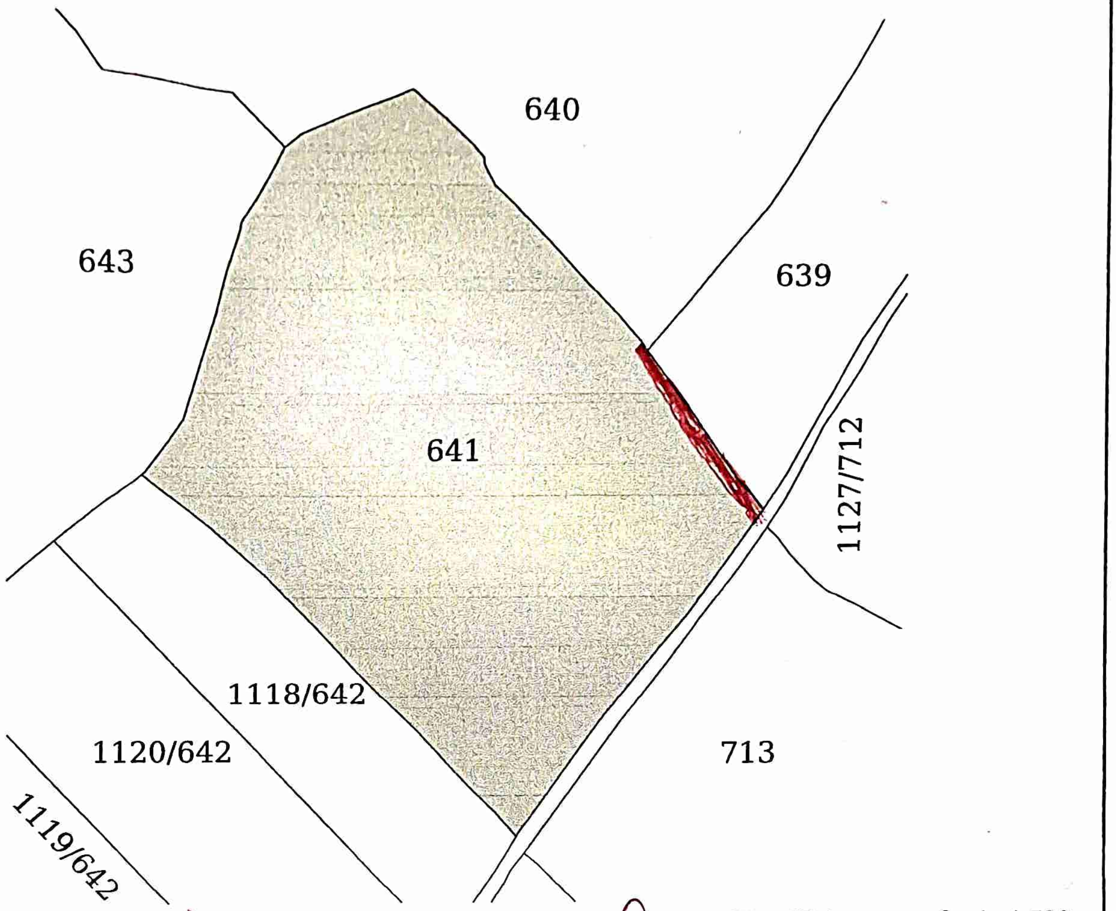

खसरा संख्या :641 क्षेत्रफल : 5.1152 Hectare खाता संख्या : 4पुराना खाता संख्या :7

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [5.1152, 0.97]

1.) अणसी पत्नि गेफराराम हिस्सा- 1/20 जाति- रबारी सा. देह खातेदार हिस्सा-1/20 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा SERWA
10.) मांगा पुत्र पाबुराम हिस्सा- 1/8 जाति- रबारी सा. देह खातेदार
11.) लिखमाराम पुत्र मानाराम हिस्सा- 1/16 जाति- रबारी सा. देह खातेदार
12.) लिखमाराम पुत्र गेफराराम हिस्सा- 1/20 जाति- रबारी सा. देह खातेदार हिस्सा-1/20 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा SERWA
2.) उकाराम पुत्र गेफराराम हिस्सा- 1/20 जाति- रबारी सा. देह खातेदार हिस्सा-1/20 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा SERWA
3.) चंपा पत्नि मानापिता मानाराम हिस्सा- 1/16 जाति- रबारी सा. देह खातेदार
4.) जोगाराम पुत्र गेफराराम हिस्सा- 1/20 जाति- रबारी सा. देह खातेदार हिस्सा-1/20 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा SERWA
5.) जोगाराम पुत्र मानाराम हिस्सा- 1/16 जाति- रबारी सा. देह खातेदार
6.) ठाकराराम पुत्र मानाराम हिस्सा- 1/16 जाति- रबारी सा. देह खातेदार
7.) देवा पुत्र डूंगरा हिस्सा- 1/4 जाति- रबारी सा. देह खातेदार
8.) नरसीराम पुत्र गेफराराम हिस्सा- 1/20 जाति- रबारी सा. देह खातेदार हिस्सा-1/20 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा SERWA
9.) नागजी पुत्र पाबुराम हिस्सा- 1/8 जाति- रबारी सा. देह खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:59:46 IST
Reason: SelfAttested

नागजी

लाखाराम

अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए हैं।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

C.S.

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा।

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 04/10/2024 04:25:45 PM

जिला : बाड़मेर | तहसील : सेड़वा | भू. अ. नि. क्षेत्र : फागलिया

पटवारी हल्का : गंगासरा | ग्राम : गंगासरा

परिशिष्ट - ब

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

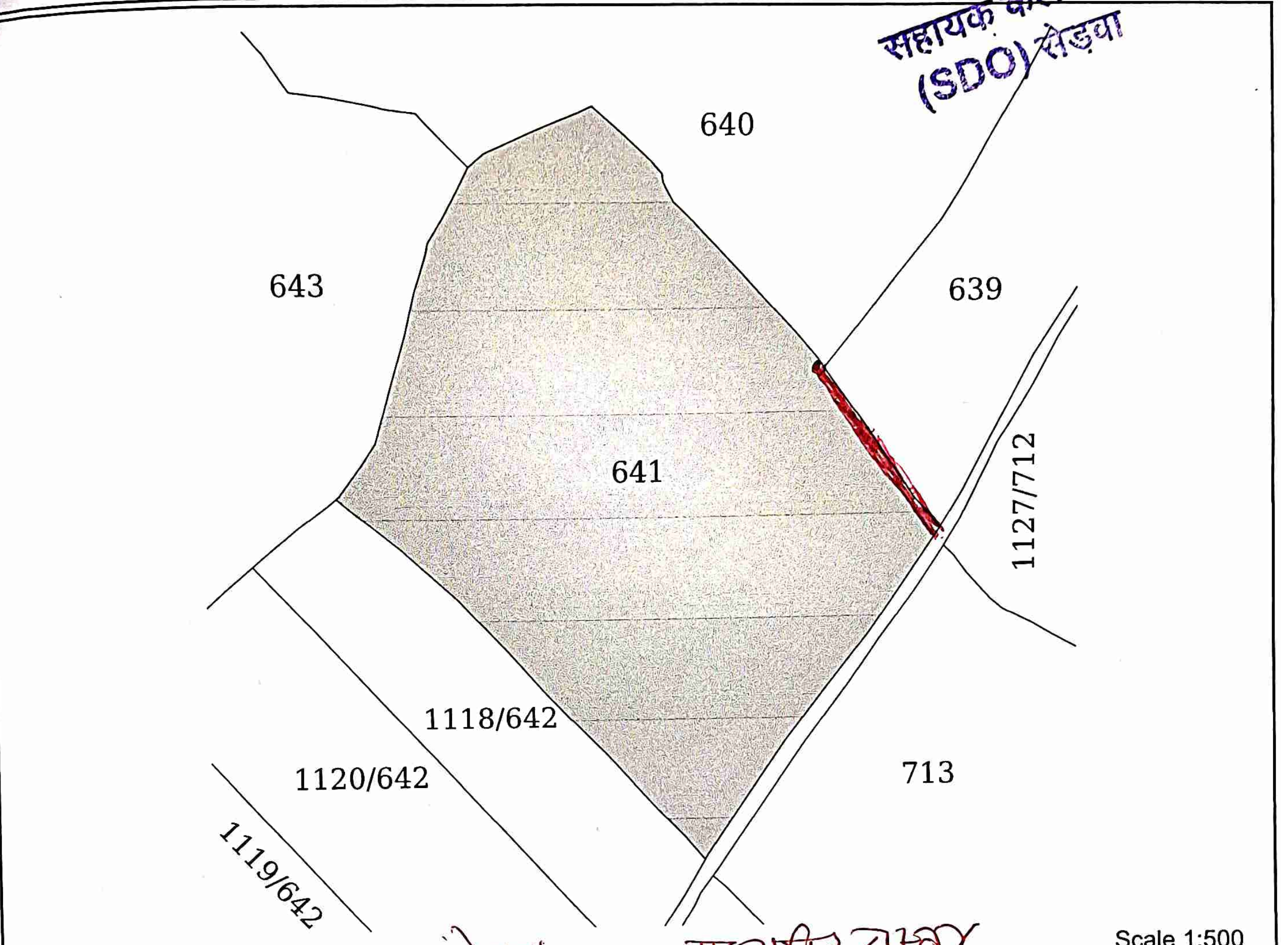

खसरा संख्या :641 क्षेत्रफल : 5.1152 Hectare खाता संख्या : 4पुराना खाता संख्या : 7

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [5.1152, 0.97]

1.) अणसी पत्नि गेफराराम हिस्सा- 1/20 जाति- रबारी सा. देह खातेदार हिस्सा-1/20 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा SERWA

10.) मांगा पुत्र पाबुराम हिस्सा- 1/8 जाति- रबारी सा. देह खातेदार

11.) लिखमाराम पुत्र मानाराम हिस्सा- 1/16 जाति- रबारी सा. देह खातेदार

12.) लिखमाराम पुत्र गेफराराम हिस्सा- 1/20 जाति- रबारी सा. देह खातेदार हिस्सा-1/20 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा SERWA

2.) उकाराम पुत्र गेफराराम हिस्सा- 1/20 जाति- रबारी सा. देह खातेदार हिस्सा-1/20 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा SERWA

3.) चंपा पत्नि मानापिता मानाराम हिस्सा- 1/16 जाति- रबारी सा. देह खातेदार

4.) जोगाराम पुत्र गेफराराम हिस्सा- 1/20 जाति- रबारी सा. देह खातेदार हिस्सा-1/20 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा SERWA

5.) जोगाराम पुत्र मानाराम हिस्सा- 1/16 जाति- रबारी सा. देह खातेदार

6.) ठाकराराम पुत्र मानाराम हिस्सा- 1/16 जाति- रबारी सा. देह खातेदार

7.) देवा पुत्र डूंगरा हिस्सा- 1/4 जाति- रबारी सा. देह खातेदार

8.) नरसीराम पुत्र गेफराराम हिस्सा- 1/20 जाति- रबारी सा. देह खातेदार हिस्सा-1/20 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा SERWA

9.) नागजी पुत्र पाबुराम हिस्सा- 1/8 जाति- रबारी सा. देह खातेदार

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:10:46 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

मानाराम

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

C.S.

तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा